1329

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14374/1335 दिनांकः– 17/09/13

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
24 SEP 2013

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद बेतिया के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 82/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

सलग्नकः यथोपरि

5551(S)
27/9/13

भवदीय,

17/9/13

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

177
01/10/13

नगर परिषद् बेतिया
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–82/13–14
(अवधि– 2010–11 से 2011–12 तक)

1.प्रस्तावनाः–

नगर परिषद् बेतिया के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.01.13 से 09.02.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क्रम0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अनीस अख्तर	01.04.10 से 31.03.12

(ख) उप–सभापति

क्रम0 सं0	नाम	अवधि
2.	श्री चंदन पाण्डेय	01.04.10 से 31.03.12

(ग) कार्यपालक अधिकारी

क्रम0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री संतोष कुमार सिंह	01.04.10 से 26.04.10
2.	श्री विनय कुमार ठाकुर	27.04.10 से 31.03.12

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट– II पर अवस्थित है।

381

4. लंबित कंडिकाएं

क0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अंकेक्षण अवधि	कुल कंडिकाओ की सं0	निस्तारित कंडिकाओं की सं0	निस्तारण हेतु बकाया कंडिकाओं की सं0
1.	256/82–83	1977–78 से 1979–80	58	06	52
2.	236/86–87	1980–81 से 1982–83	25	12	13
3.	33/88–89	1977–78 से 1979–80	38	12	26
4.	136/91–92	1977–78 से 1979–80	41	05	36
5.	03/96–97	1977–78 से 1979–80	43	09	34
6.	136/00–01	1977–78 से 1979–80	47	15	32
7.	486/07–08	1977–78 से 1979–80	30	..	30
8.	697/08–09	1977–78 से 1979–80	30	07	23
9.	547/10–11	2008–09 से 2009–10	53	..	53
		कुल	365	66	299

नगर परिषद् के द्वारा अंकेक्षण के समक्ष कोई अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बकाया सभी लंबित कंडिकाओं के निस्तारण हेतु ठोस कदम उठाया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र तैयार कर नगर परिषद बोर्ड से पारित करवाकर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को प्रेषित किया जाय।

5. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियॉं

क0 सं0	कंडिका सं0	कंडिका का सार	राशि (₹)
1	11 (भाग–ख)	बन्दोबस्ती	8882454.00
2	4 (भाग–क)	मोबाइल टावरों का बकाया	3396000.00
3	19 (भाग–ख)	हाइमास्ट लाइट अधिष्ठापन में अनियतता	21375000.00
4	13 (भाग–ख)	शौपिंग कम्प्लेक्स निर्माण	800000.00
5	14 (भाग–ख)	प्रशासकीय भवन निर्माण में अनियमितता	1995925.00
6	7 (भाग–क)	विलम्ब से कियान्वित	584550.00

		योजनाओं में क्षतिपुर्ति राशि की कटौती नहीं	
7	8 (भाग–क)	श्रम उपकर की कटौती	732058.00

6. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय उसके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है।

परंतु नगर परिषद् की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण कई प्रकार की अनियमिततताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियॉ, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना, दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड.पाल रोकड.बही का अनियमित संधारण तथा समय–समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः परिषद् प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाए।

7. बजट

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि का वार्षिक बजट लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2012– 2013 की अवधि का बजट उपलब्ध कराया गया, जा आय रु 14.19 करोड. एवं व्यय / 2. 49 करोड. का था, उसे पार्षद द्वारा दिनांक 21.03.12 की बैठक के प्रस्ताव सं0 2 के आलोक में पारित किया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धाराओं के अनुसार आय–व्यय से संबंधित आगामी वर्ष का बजट संशोधित अथवा मूल रूप में पारित कर सरकार की स्वीकृति हेतु 31 मार्च के पूर्व अग्रसारित कर दिया जाना उपबंधित है।

वर्ष 2010–13 का बजट सरकार को कब प्रेषित किया गया इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

379

वर्ष 2012--13 के बजट के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2011--12 का आय 149474501.00 एवं व्यय 31475000.00 के विरूद्ध 2012--13 की अवधि का संभावित आय 141864351.00 एवं व्यय 116969400.00 का तैयार किया गया जो वास्तिविक नहीं बल्कि काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर था। भविष्य में बजट तैयार करने में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।

8 संव्यवहार

नगर परिषद, बेतिया में वित्तीय वर्ष 2010--12 के दौरान आय–व्यय की स्थिति निम्नवत् थी–

कम सं	विवरण	2010–11	2011–12
1	प्रारंभिक शेष	48020453.56	125487222.56
2	वर्ष की प्राप्तियॉ	141719472.00	77371999.72
3	योग	189739925.56	202859222.28
4	व्यय	64252703.00	83367214.00
5	अन्तशेष	**125487222.56**	**119492008.28**
6	बैंक खाताओं का 31.03.12 को अन्तशेष		**123010050.35**
7	अन्तर		**3518042.07**

रोकड.बही की त्रुटियॉ

नगर परिषद्, बेतिया द्वारा संधारित रोकड.बही में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गई–

1. आय एवं व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया,
2. आय पक्ष में प्राप्तियों के विरूद्ध मद नहीं दर्शाया गया एवं किस तरह की प्राप्ति थी तथा किनके द्वारा जमा की गई यह स्पष्ट नहीं किया गया था,
3. मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणी तैयार नहीं किया गया,
4. अनुदान की राशि की प्रविष्टि के विरूद्ध पत्रांक, दिनांक तथा प्रयोजन अंकित नहीं किया गया
5. योग एवं शेष के ऑकड़े. को नियमित रूप नहीं किया गया,
6. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया,
7. बैंक एवं कोषागार पासबुक को समाधानित नहीं किया गया,
8. कोषागार खाता के अतिरिक्त 21 अन्य बैंक खातों का परिचालित किया गया जिस हेतु सहायक रोकड. बहियों का संधारण नहीं किया गया,

9. आय एवं व्यय पक्ष की कई प्रविष्टियॉ रोकड. बही में नहीं की गई। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं–

कम सं	दिनांक	बैंक का नाम एवं खाता सं	प्राप्ति पक्ष	व्यय पक्ष	अभ्युक्ति
1	17.03.11	यूनियन बैंक / 1300	—	1705.00	समासोधन
2	21.03.11	यूनियन बैंक / 1300	—	400.00	रोकड. लेनदेन शुल्क
3	21.04.11	यूनियन बैंक / 1300	—	799.50	रोकड. लेनदेन शुल्क
4	30.05.11	यूनियन बैंक / 1300	—	446500.00	अंकित नहीं
5	4.6.11	यूनियन बैंक / 1300	—	05.00	आई. एस. ओ. चार्ज
6	28.07.11	यूनियन बैंक / 1300	26000.00		पासबुक के अनुसार 26250.00 श्री विजय राउत द्वारा चलान से जमा
7	18.01.11	इलाहाबाद बैंक / 901257	—	784.00	MICRSBCQ मद में
8	04.04.10	कोषागार खाता	—	266623.00	शत्रुघ्न प्रसाद को भुगतान
9	31.08.10	कोषागार खाता	—	54145.00	मेसर्स भारद्वाज कंसट्रक्संस को भुगतान
10	12.10.10	कोषागार खाता	—	18000.00	सभापति का मासिक भत्ता
11	12.10.10	कोषागार खाता	—	15000.00	उपसभापति का मासिक भत्ता
12	15.12.10	कोषागार खाता	—	378016.00	कर्मचारियों का वेतन
13	19.01.11	कोषागार खाता	—	1353.00	आयकर जमा
14	28.01.11	कोषागार खाता	—	14083.00	सुरक्षित जमा
15	04.03.11	कोषागार खाता	—	12113.00	वेतन

(31.03.11 के उपरान्त कोषागार पंजी अनुपलब्ध)

10. कोषागार खाता के चेक अधपन्ना के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्नांकित चेक निर्गत किए गए परन्तु इनका इन्द्राज रोकड.पंजी में नहीं किया गया–

कम सं0	चेक सं0 / दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
1	819944 / 31.08.10	54145.00	सुरक्षित जमा की वापसी
2	819951 / 12.10.10	18000.00	सभापति का भत्ता
3	819952 / 12.10.10	15000.00	उपसभापति का भत्ता

4	819957 / 15.12.10	378016.00	वेतन
5	819960 / 19.01.11	1353.00	आयकर जमा
6	819961 / 28.01.11	54083.00	सुरक्षित जमा की वापसी
7	819966 / 14.05..11	552229.00	वेतन
8	819975 / 06.08.11	1688677.00	मैचिंग ग्रांट
9	819996 / 19.11.11	1367326.00	श्री सकलदेव मिश्रा, वार्ड नं0.1, एक्शन प्लान
10	819999 / 12.12.11	711241.00	श्रीमती चन्द्रविभा देवी, वार्ड नं0.8, एक्शन प्लान
11	820405 / 11.01.12	716593.00	वेतन

लेखापरीक्षा टिप्पणी

बैंक समाधान विवरणी तैयार कर आय–व्यय के आंकडों के मध्य अन्तर का समाधान तैयार किया जाए एवं उपर वर्णित त्रुटियों के साथ रोकड़ बही में अन्य सभी त्रुटियों को सुधार कर रोकड़ बही अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

इस संबंध में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझावों के अनुसार रोकड. बही की त्रुटियों का सुधार किया जाएगा

9. अन्तशेष

31.03.12 को बैंक खातों के अन्तशेष की विवरणी

कम सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अन्तशेष की राशि
1	कोषागार खाता	055	92763284.72
2	इलाहाबाद बैंक	901257	1243124.00
3	इलाहाबाद बैंक	9303598	13595979.00
4	इलाहाबाद बैंक	902195	3045622.00
5	यूनियन बैंक	547	4430938.00
6	यूनियन बैंक	1129	86665.00
7	यूनियन बैंक	693	15895.00
8	यूनियन बैंक	559	4413.00
9	यूनियन बैंक	1300	4049072.50
10	यूनियन बैंक	2488	125905.00
11	भा0 स्टे0 बैंक0 मुख्य शाखा	240	336772.00
12	भा0 स्टे0 बैंक0 मुख्य शाखा	797	77997.00

13	भा0 स्टे0 बैंक0 मुख्य शाखा	498	705408.00
14	बैंक ऑफ बड़ौदा	897	686972.00
15	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,हरि वाटिका	1887	60560.00
16	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,बरबतपरसरैन	4426	10464.00
17	यूको बैंक	1439	5539.00
18	सेन्ट्रल बैंक	452	419004.00
19	कृषि विकास शाखा	155	185927.00
20	केनरा बैंक	909	56584.00
21	पंजाब नेशनल बैंक	446	738631.00
22	बैंक ऑफ इंडिया	703	395294.13
			123010050.35
उपरोक्त केनरा बैंक एवं कृषि विकास शाखा से विगत दो वर्षो में कोई लेन–देन नहीं हुआ है।			

10.अन्य खातों का परिचालन :

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20 से 23 के उपबंधों के अनुसार नगर परिषद् निधि हेतु प्राप्त राशियों का लेन–देन कोषागार के माध्यम से किया जाना है। नगर परिषद् की लेखाओं के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि कोषागार के अतिरिक्त अन्य 21 खाताओं का परिचालन किया गया। यह भी पाया गया कि स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय का कोई भी अंश कोषागार में जमा नहीं किया गया, बल्कि इन्हें अन्य संचालित खातों में जमा किया गया, जो उपबंध के विपरीत था।

नगर परिषद् निधि हेतु प्राप्त राशियों का अन्यत्र जमा किये जाने एवं इतनी संख्या में खाताओं के परिचालन से संबंधित प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति लेखापरीक्षा को नहीं दिखलाया गया।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी निदेश के विपरीत अन्य खाताओं के परिचालन को बन्द कर इन्हें कोषागार खाते में स्थानांतरित कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

भाग (क)

1. <u>मुख्य (भवन) कर</u>

मुख्य (भवन) कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलबध कराए गए ऑकडों के अनुसार वर्ष 2010–12 की अवधि में मॉग वसली एवं शेष के ऑकडे. निम्न प्रकार हैं–

	2010–11	2011–12
मॉग		
बकाया	5675000.00	6565915.00
चालू	1650000.00	2326970.00
योग	7325000.00	8892885.00
वसूली		
बकाया	––	––
चालू	––	––
योग	759085.00	2247735.00
शेष		
बकाया	––	––
चालू	––	––
योग	6565915.00	6645150.00

(परिशिष्ट–IV)

<u>लेखापरीक्षा टिप्पणी</u>

1. उपर्युक्त आंकडों के अनुसार वर्ष 2010–12 की अवधि में बकाया एवं चालू वसूली तथा शेष के आंकड़े नहीं दर्शाये गए थे।
2. भवन निमार्ण हेतु दी गई अनुमति की संख्या जो उपलब्ध नहीं कराया गया की पूर्णता संबंधी आंकड. उपलब्ध भी नहीं कराया गया तथा इनके करारोपण की कार्रवाई नहीं की गई।

   उपरोक्त वसूलनीय राशि के वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाए एवं इसको वसूल कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

इस संबंध में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि टिप्पणी के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

2. सरकारी भवनों के विरूद्ध बकाया भवन कर

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार कुल 29 सरकारी भवनों के विरूद्ध 31.03. 2012 तक कुल रु 7234095.00 बकाया थी। (परिशिष्ट–IV (क))

इनके अवलोकन से यह पाया गया कि कुछ भवनों के विरूद्ध 1968–69 से अभी तक किसी भी राशि की वसूली नहीं की गई है। यह भी पाया गया कि उप–विकास– आयुक्त, बेतिया के भवनों पर 1994–95 से 2011–12 तक रु 1818200.00 जैसी बडी राशियॉ वसूली हेतु बकाया थी तथा अन्य कई भवनों पर 200000.00 से लेकर 970000.00 तक के कर बकाया थे।

उपर्युक्त राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाएं ताकि परिषद् निधि को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके एवं की गई कार्रवाई एवं इसके परिणामों से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

इस संबंध में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि टिप्पणी के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

3. बकाया दुकान किराया

दुकानों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थलें पर अवस्थित कुल 163 दुकानों की सूची उपलबध करायी गई। सूची के अनुसार दुकानदारों के यहां कुल रु 669233.00 बकाया थी। (परिशिष्ट–VI)

इस संबंध में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि टिप्पणी के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

उक्त राशि के वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाए एवं इसकी वसूल कर अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाए।

4. मोबाईल टावरों पर बकाया शुल्क

मोबाइल टावरों की उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के कुल 57 मोबाईल टावर स्थापित थे, जिनके विरूद्ध 31.03.2012 तक कुल बकाया शुल्क ₹3396000.00दर्शाया गया। (परिशिष्ट–VII)

अतः बकाया शेष राशि ₹3396000.00 की वसुली यथाशीध्र करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये।

5. योजनाओं की स्थिति

नगर परिषद्, बेतिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक विभिन्न मदों के अंतर्गत ली गयी योजनाओं की उपलब्ध कराए गए ऑकडों के अनुसार स्थिति निम्न थी (परिशिष्ट–VIII)

323

क0 सं0	मद	वर्ष	ली गयी योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय
1	मुख्यमंत्री आधारभूत संरचना	2010–11	24	24	00	00
2	--वही--	2011–12	6	5	1	829357.00
3	नाला सड़क निर्माण मद	2011–12	37	35	2	3139801.00
4	ऐक्शन प्लान	2011–12	7	3	4	3218243.00
5	लोक भवन	2010–11	4	3	1	योजना अतिक्रमण के कारण स्थगित

अपूर्ण योजनाओं को यथाशीध्र पूर्ण किया जाय ताकि योजना का उददेश्य पूर्ण हो सके।

6. <u>योजनाओं के कियान्वयन में अनियमितता</u>

योजनाओं की उपलब्ध संचिकाओं की नमूना जॉच में यह पाया गया कि कुछ योजनाएं परिष्कृत छोंड. दी गयी तथा कुछ योजनाएं प्रारंभ नहीं की गयी, ना हीं अग्रिम की वसूली/वापसी की गयी, विवरण निम्नांकित है–

(i) योजना सं0 59/06–07 (वार्ड नं0 3 में बूचड.खाना का निर्माण) जिसकी प्राक्कलित राशि रु 382100.00 थी, के कार्यान्वयन हेतु श्री अब्दुल बहाव, कर संग्राहक को अभिकर्ता नियुक्त किया गया, तथा चेक सं 181406/9.08.06 द्वारा रु 140000.00 अग्रिम का भुगतान किया गया, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया।

संचिका के अवलोकन से पाया गया कि कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण श्री बहाव द्वारा विविध रसीद सं 4323/14.06.11 एवं 4330/5.7.11 द्वारा रु 100000.00 (50000.00 +50000-00) कार्यालय में जमा किया गया। अतः अभिकर्त्ता से ₹40000 वसूलनीय है।

किन परिस्थितियों में कार्य को स्थगित किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया तथा लगभग 5 वर्षों तक राशि वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी।

(ii) योजना सं0 55/06–07 (वार्ड नं0 3 में बूचड.खाने के बाहर दीवारों का निर्माण) जिसकी प्राक्कलित राशि रु 442000.00 थी, के कार्यान्वयन हेतु श्री मो0 माज्जामिल, अमीन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया, तथा चेक सं 181402/9.08.06 द्वारा रु 140000.00 अग्रिम का भुगतान किया गया।संचिका के अवलोकन में पाय गया कि टिप्पणी के अनुसार योजना स्थगित की गयी, क्योंकि विभाग द्वारा निदेश कि कार्य संविदा पर कराया जाएगा, अतः राशि जमा करने का आदेश पत्रांक 533 दिनांक 06.08.10 द्वारा निर्गत किया गया।

विविध रसीद सं 4396/दिनांक 228.08.12 द्वारा रु 20000.00 अभिकर्ता द्वारा जमा किया गया। टिप्पणी पृष्ठ/7 टि0 के अनुसार मापी पुस्त रु 57368.00 दिनांक 22.06.12 मापी पुस्त अंकित का उल्लेख पाया गया, लेकिन मापी पुस्त उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक 13.10.12 शेष राशि 82632.00 को अभिकर्ता के वेतन से सामंजित करने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त संचिका में कोई उल्लेख नहीं पाया गया।

उपर्युक्त योजना स्थगित कियें जाने के 6 वर्षों के उपरानत वसूली की कार्रवाई की गयी तथा स्थगनादेश के उपरान्त मापी पुस्त (अनुपलब्ध) के अनुसार किस परिस्थितियों में कार्यान्वयन किया गया, इसे स्पष्ट करते हुए रु 120000 **(140000–20000)**की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

(iii) योजना सं0 26/06–07 अरविन्द साह के घरसे अशर्फी यादव के घर तक पी.सी.सी. कार्य

प्राक्कलित राशिः 301300.00 प्राक्कलन की छाया प्रति संलग्न

तकनीकी स्वीकृतिः कार्य0 अभि0/रा0 ग्रा0 नि0 कार्य0/11.02.06

प्रशासनिक स्वीकृतिः 30.06.06

अभिकर्ताः श्री अब्दुल बहाव, कर संग्राहक

कार्यादेशः 30.06.06

कार्य पूर्ण करने की तिथिः 31.08.06

भुगतानः	**चेक सं0/दिनांक**	**राशि**
	0100468/7.08.06	55000.00
	0051903/27.09.06	40000.00
	081869/13.06.11	8422.00
	वणिज्य कर कटौती	5312.00
	खनन शेष कटौती	1266.00
		110000.00
अभिश्रव का मूल्यः		95630.00
मजदूर नामावली		20281.00

371

115911.00

मापी पुस्त का मुल्य: 110810.30

उपर्युक्त कार्य को अपूर्णावस्था में परिष्कृत रूप में छोड. दिया गया, तथा इस पर किया गया व्यय निष्फल साबित हुआ। निष्फल व्यय की राशि 110000.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है। इस प्रकार कुल राशि रु 270000.00 (40000+120000+110000) प्रस्तावित दर से ब्याज समेत वसूल कर संबंधित निधि में जमा किया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि संबंधित अभिकर्ता को पूर्व में सूचना दी गई है। पुनः स्मारित किया जा रहा है।

7. <u>योजना के कियान्वयन में अनियमितता/ विलम्ब से कियान्वित योजनाओं में क्षतिपूर्त्ति राशि की कटौती नही</u>

क म सं0	योजना सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि	कुल भुगतान	संवेदक	कार्यादेश की तिथी/कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथी	कार्य पूर्ण करने की तिथी
1.	01/10–11	वार्ड न0 4 में करगहिया पश्चिम में खेसरा सं0 619 पर सामुदायिक भवन का निमार्ण	1948500.00	1794551.00	श्री निर्मल श्रीवास्तव	28.08. 10/तीन माह	22.09.11
2.	02/10–11	वार्ड न0 6 में नोनियार पर खेसरा सं0 878,888,889 पर सामुदायिक भवन का निमार्ण	1948500.00	1797484.00	मे0 भारद्वाज कंस्ट्रक्सन्स	28.08. 10/तीन माह	18.02.12
3.	03/10–11	वार्ड न0 11 में पुरानी गुदरी नया बाजार में	1948500.00	1778371.00	श्री शत्रुघ्न प्रसाद	28.08. 10/तीन माह	26.03.12

		खेसरा सं0 1809 / 1810 पर सामुदायिक भवन का निमार्ण					

उपरोक्त कम सं0 –1

अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यादेश के अनुसार कार्य 27.11.10 तक पूर्ण कर लिया जाना था। परन्तु, दिनांक 20.11.10 को संवेदक श्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव द्वारा आवेदन दिया गया कि कार्य जारी है, परंतु नियत समय पर कार्य पूरा नही हो पाएगा क्योकि जिस जगह पर कार्य हो रहा है उस जगह पर अतिकमण था एवं स्थल खाली करवाने के पश्चात् कार्य शुरू हुआ है, अतः 30.12.11 तक समय दिया जाए। उक्त आवेदन पर कनीय अभियंता की अनुशंसा पर दिनांक 30.12.11 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दे दी गई।

उपरोक्त कम सं0 –2

अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यादेश के अनुसार कार्य 27.11.10 तक पूर्ण कर लिया जाना था। परन्तु, दिनांक 10.02.11 को संवेदक श्री मेसर्स भरद्वाज कंसट्रकसंस द्वारा आवेदन दिया गया कि कार्यस्थल पर वहां के निवासियों द्वारा अवैद्य रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे हटाने में काफी समय व्यतीत हो गया, अतः 9 महीने का विस्तार दिया जाए। उक्त आवेदन पर कनीय अभियंता की अनुशंसा भी की गई, जबकि संचिका की टिप्पणी के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 29.11.10 को ही अभिकर्ता एवं कनीय अभियंता द्वारा अतिकमण बताए जाने पर एक वर्ष का विस्तार स्वीकृत कर दिया गया था।

उपरोक्त कम सं0 –3

अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यादेश के अनुसार कार्य 27.11.10 तक पूर्ण कर लिया जाना था। परन्तु, दिनांक (अंकित नही) को संवेदक श्री शत्रुघ्न प्रसाद द्वारा आवेदन दिया गया कि कार्य जारी है, परंतु नियत समय पर कार्य पूरा नही हो पाएगा क्योकि जिस जगह पर कार्य हो रहा है उस जगह पर अवैद्य कब्जा था एवं स्थल खाली करवाने के पश्चात् कार्य शुरू हुआ है, अतः नौ महीने तक समय बढ़ा दिया जाए। उक्त आवेदन पर कनीय अभियंता की अनुशंसा दिनांक 29.11.10 को एक वर्ष तक अवधि विस्तार की स्वीकृति कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दे दी गई। परंतु कार्य इस अवधि विस्तार के बाद भी पूरा नहीं कराया जा सका एवं कार्य 26.03.12 को पूरा किया गया। इस अवधि के विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति अभिकर्ता के आवेदन पर दिनांक 29.10.12 को दी गई।

369

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनाने के पूर्व कनीय अभियंता द्वारा यह प्रतिवेदन देना होता है कि कार्यस्थल विवादित नहीं है एवं उसपर अवैद्य कब्जा नहीं है। परंतु, उक्त तीनों योजनाओं में कनीय अभियंता से उक्त प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया।

2. जब योजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 3 माह थी, तब 1 वर्ष से अधिक का समय विस्तार दिए जाने का क्या औचित्य था?

3. अवधि विस्तार की अनुमति कार्यपालक अभियंता द्वारा दी जानी थी परन्तु इसकी अनुमति कार्यपालक पदाधिकारी द्वार दी गयी। अतः अवधि विस्तार की अनुमति वैध नही थी।

4. पुनः उपरोक्त कम सं0 1 के अन्तर्गत पाया गया कि प्राक्कलन के अनुसार 10 के. वी. ए. का जेनरेटर लगाये जाने का उपबन्ध था, परंतु संलग्न अभिश्रव के अवलोकन में पाया गया कि 5 के.वी.ए. जेनरेटर का ही कय किया गया था।

5. पूर्णता एवं गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था।

उपरोक्त विन्दुओं को लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। इस संबंध में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समय विस्तार दिए जाने का कारण उचित नहीं था। अतः नियमानुसार उक्त योजनाओं की प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत रु 584550.00 (**1948500**x3x 10%) संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है। साथ ही अन्य योजनाओं की जॉच नगर परिषद् प्रशासन के स्तर से किया जाए।

8. श्रम उपकर की कटौती

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए योजना विवरणी के आंकड.ो की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–12 के दौरान निम्नांकित योजनाओं के कियान्वयन पर कुल रु व्यय किए गए–

कम सं	योजना मद	योजनाओं की संख्या	कुल व्यय
1.	सी.एम. एवं आधारभूत संरचना	24	25303916.00
2.	सड.क एवं नाला निर्माण	37	28139004.00
3.	सामुदायिक भवन	3	5370406.00
4.	एक्शन प्लान	7	4977660.00
5.	सी.एम. फंड	6	9414865.00
			73205851.00

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 10.06.08 के साथ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्धसरकारी पत्र सं0 बी.सी.डब्लू. सी. 1/2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्य पर किए गए व्यय का 1 प्रतिशत वर्ष 2007--08 से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना निदेशित था। परंतु, उपरोक्त योजनाओं में यह कटौती नहीं की गई। अतः उक्त योजनाओं पर किए गए व्यय का 1 प्रतिशत रु 732058.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर संबंधित निधि में जमा किया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि अंकेक्षण सुझावों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

9. स्वीकृत/कार्यरत बल

नगर परिषद् में कुल स्वीकृत कार्यबल 240 के विरूद्ध में केवल 127 ही कार्यरत बल थे एवं शेष 113 पद रिक्त थे। कार्यरत बल की संख्या में वृद्धि हेतु गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। (परिशिष्ट– XVII)

भाग (ख)

10. होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद से वसूली

(क) एच. आर./एम. आर. की राशि

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुसार कर–संग्राहकों को एच. आर/एम. आर. के द्वारा वसूल की गई राशि को दैनिक संग्रह पंजी (D C R) में प्रविष्टि करनी होती है तत्पश्चात सभी कर –संग्राहकों के दैनिक संग्रह पंजी में दर्ज राशि रोकड.पाल की रोकड.बही में प्राप्त की जाती है जो उसे नगर परिषद् के निर्धारित शीर्ष में अविलम्ब जमा करता है।

परन्तु, नगर परिषद्, बेतिया में उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। नगर परिषद् में श्री अभय कुमार जो कर–संग्राहक का कार्य कर रहे थे, उन्हें रोकड.पाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान कर–संग्रह से वसूल की गई राशि को ससमय संबंधित बैंक खाते में जमा किए जाने की निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। प्रकिया के अनुपालन में निम्नांकित अनियमितताएं पायी गई–

1. श्री अभय कुमार, कर–संग्राहक के द्वारा केवल 13.05.10 से 10.12.11 तक की अवधि में वसूल राशि का ही इन्द्राज दैनिक संग्रह पंजी में किया गया था।

2. श्री जुलुम साह, कर–संग्राहक के द्वारा केवल 03.06.10 से 25.11.11 तक की अवधि में वसूली की गई राशि का ही इन्द्राज दैनिक संग्रह पंजी में किया गया था।

3. श्री आदित्य नाथ, कर–संग्राहक के द्वारा केवल 01.04.10 से 24.02.12 तक की अवधि में वसूल की गयी राशि का ही इन्द्राज दैनिक संग्रह पंजी में किया गया था। श्री नाथ द्वारा वसूल की गई राशि स्वयं उनके द्वारा ही बैंक खाते में जमा की गई थी।(परिशिष्ट III)

श्री नाथ को निर्गत एच. रसीद एवं विविध रसीदों की जॉच एवं संबंधित खाते में वसूल की गई राशि के जमा की जॉच के कम में पाया गया कि निम्नांकित राशि संबंधित खाते में जमा नहीं की गई थी–

कम सं0	रसीद की प्रकृति	रसीद सं0/दिनांक	वसूल की गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा	वसूलकर्ता का नाम
1	एच. आर.	15401–15500	36435.00	00.00	36435.00	श्री आदित्य नाथ गुप्ता
2	एच. आर.	16501–16521 (upto 18.01.2013)	17584.48	00.00	17584.48	–तथैव–
3	एम. आर.	5051–5094 (upto 10.01.2013)	36562.00	00.00	36562.00	–तथैव–
		कुल	90582.00	शून्य	90582.00	

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में श्री नाथ द्वारा रु 36435.00 इलाहाबाद बैंक के खाता सं0 901257 में दिनांक 21.01.13 को जमा करा दिया गया। अतः शेष राशि ₹54147.00 की वसूली श्री नाथ गुप्ता से कर निकाय कोष में जमा करवाया जाय।

4. पुनः श्री जुलुम साह, कर–संग्राहक द्वारा दिनांक 17.01.13 तक वसूल की गई राशि रु 1017241.59 में से केवल रु 291303.00 रोकड.पाल (श्री अभय कुमार) के द्वारा प्राप्त किया गया।

5. रोकड.पाल रोकड.पंजी की जॉच में पाया गया कि दिनांक 01.04.10 से 26.08.10 तक कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी और न हीं 31.03.12 के बाद ही कोई प्रविष्टि दर्ज पायी गई।

रोकड.पंजी में दैनिक/मासिक योग नहीं निकाला गया था एवं रोकड.पंजी में दर्ज किसी भी राशि के बैंक खाते में जमा किए जाने का कोई विवरण दर्ज नहीं था। अर्थात् रोकड.पंजी की जॉच से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कब और कितनी राशि बैंक खातें में जमा की गई ।

उपरोक्त परिस्थितियों में दिनांक 01.04.10 से दिनांक 17.01.13 तक की अवधि में कर–संग्राहकों द्वारा वसूल की गई कुल राशि एवं निर्धारित बैंक खातें में उसके जमा का मिलान लेखापरीक्षा द्वारा संभव नहीं था। साथ ही, दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड.पाल रोकड.पंजी के अपूर्ण संधारण के कारण लेखापरीक्षा को कुल वसूल की गई एवं संबंधित खातें में जमा की गई राशि की गणना करना संभव नहीं था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 01.04.10 से दिनांक 17.01.13 की अवधि में कर–संग्राहकों द्वारा एच0 रसीद/ के माध्यम से वसूल की गई राशियों की गणना की गई, जिसका विवरण निम्नवत् थी–

कम सं0	कर संग्राहक का नाम	एच0 रसीद के माध्यम से वसूल की गई राशि
1	श्री अभय कुमार	2902931.85
2	श्री जुलुम साह	1017241.59
		3920173.44

(परिशिष्ट – III)

(ख) **श्री रमण कुमार द्वारा विविध रसीद से वसूल की गई राशि का जमा**

उपलब्ध कराए गए विविध रसीदों की भंडार पंजी के अनुसार श्री रमण कुमार को 2010–12 की अवधि में निर्गत विविध रसीद बहियों के द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

कम सं	रसीद सं./दिनांक	वसूल की गई राशि
1.	4700–4800/02.12.11 से 18.02.12	263890.00
2.	4901–5000/18.02.12 से 10.04.12	551879.00
3.	5101–5200/17.04.12 से 17.04.12	15844.00
4.	5200–5300/17.04.12 से 14.05.12	139584.00
5.	5401–5500/21.05.12 से 05.09.12	1285731.00
6.	5501–5600/06.0912 से 10.11.12	3902457.00
		6159385.00

36

उक्त राशियों की प्रविष्टि दैनिक संग्रह पंजी में की गई, एवं वसूल की गई राशि के संबंधित निधि में जमा किए जाने के संबंध में पृच्छा किए जाने पर श्री कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया कि वसूली गई राशियों में से कुछ राशि श्री अभय कुमार, रोकड.पाल–सह– कर संग्राहक को हस्तांतरित की गई एवं उनके द्वारा स्वयं भी संबंधित निधि में जमा की गई। दैनिक संग्रह पंजी की जॉच में पाया गया कि रु 712260.00 श्री अभय कुमार, रोकड.पाल–सह– कर संग्राहक को हस्तगत कराई गई गई थी।

शेष राशि का जमा भी संबंधित खाते में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। संबंधित खाते में जमा की गई कुल राशि रु 6159385.00 से संबंधित प्रमाणिक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) <u>श्री नूर मोहम्मद द्वारा विविध रसीद से वसूल की गई राशि का जमा</u>

उपलब्ध कराए गए विविध रसीदों की भंडार पंजी के अनुसार श्री नूर मोहम्मद को 2010–12 की अवधि में निर्गत विविध रसीद बहियों के द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

कम सं	रसीद सं./दिनांक	वसूल की गई राशि
1.	4401–4500/02.12.11 से 18.02.12	54907.00
2.	4801–4900/18.02.12 से 10.04.12	28384.00
3.	5301–5387/17.04.12 से 17.04.12	69202.00
4.	4087/29.01.11	1000.00
		153493.00

उक्त राशियों की प्रविष्टि का मिलान दैनिक संग्रह पंजी से किए जाने के कम में पाया गया कि रसीद सं0 5353 से 5387 की प्रविष्टि दैनिक संग्रह पंजी में नहीं की गई, एवं वसूल की गई राशि के संबंधित निधि में जमा किए जाने के संबंध में पृच्छा किए जाने पर श्री नूर मोहम्मद द्वारा स्पष्ट किया गया कि वसूली गई राशियों में से कुछ राशि श्री अभय कुमार, रोकड.पाल–सह– कर संग्राहक को हस्तगत कराई गई एवं उनके द्वारा स्वयं भी संबंधित निधि में जमा की गई। साथ ही रसीद सं. 5339 के माध्यम से दिनाकं 03.10.12 को वसूल की गई राशि रु 251.00 की प्रविष्टि दैनिक संग्रह पंजी में नहीं पायी गई।

शेष राशि का जमा भी संबंधित खाते में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। संबंधित खाते में जमा की गई कुल राशि रु 153493.00 से संबंधित प्रमाणिक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार, कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गई राशि के बैंक खातें में जमा के संबंध में पृच्छा किए जाने पर बताया गया कि उनके द्वारा अपने स्तर से अलग–अलग बैंक जमा पर्ची के माध्यम से वसूल की गई राशि जमा की गई है। कर–संग्राहको द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक जमा पर्चियों का संबंधित

पासबुक/बैंक स्टेटमेंट से मिलान के कम में पाया गया कि उपलब्ध कराई गई पर्चियों के माध्यम से न सिर्फ उपरोक्त वर्णित कर–संग्राहकों बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा भी राशि जमा की गई थी एवं ये राशियॉ एच0 आर0/एम0 आर0 एवं परिषद् की अन्य विविध प्राप्तियों की भी थी। अतः यह सुनिश्चित करना कि कितनी राशि किस कर–संग्राहक के द्वारा जमा की गई थी, लेखापरीक्षा द्वारा संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नियमानुसार कर संग्राहकों को एक बार में एक ही रसीद निर्गत किए जाने एवं एक रसीद के समाप्त हो जाने एवं उसके द्वारा वसूल राशि के संबंधित खाते में जमा सत्यापित किए जाने के बाद ही दूसरा रसीद निर्गत किए जाने का प्रावधान है। परन्तु, भंडार पंजी की जॉच में पाया गया कि कर–संग्राहकों को एक बार/एक ही तिथि में एक से अधिक एच0 रसीद/विविध रसीद निर्गत किए गए थे।

2. कर–संग्राहकों द्वारा दैनिक संग्रह पंजी का संधारण किन परिस्थितियों में बंद कर दिया गया था यह स्पष्ट नहीं किया जा सका।

3. रोकड.पंजी सक्षम पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं था।

4. कर–संग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक जमा पर्ची एवं संबंधित बैंक खातें में उस राशि के मिलान के कम में पाया गया, एच0 आर0 एवं एम0 आर0 की राशि इलाहाबाद बैंक (A/c No. 901257), युनियन बैंक (A/c No. 1300), एवं आंशिक रूप में पंजाब नैशनल बैंक(A/c No. 30082012) एवं सेन्ट्रल बैंक में जमा की गई थी।एच0 आर0/ एम0 आर0 की राशि के संव्यवहार के लिए एक से अधिक बैंक खातों के परिचालन का कारण भी लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया जा सका।

5. नियमानुसार कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एच0 रसीद एवं विविध रसीद की जॉच किये जाने का प्रावधान है। परन्तु, लेखापरीक्षा में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह प्रकिया प्रचलन में नहीं पायी गई।

6. दैनिक संग्रह पंजी /रोकड.पाल रोकड.पंजी के अनियमित संधारण की नगर परिषद् प्रशासन द्वारा कभी कोई जॉच नहीं की गई।

   इस संबंध में जवाब दिया गया कि अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में रोकड.पाल रोकड.बही एवं दैनिक संग्रह पंजी का नियमित संधारण नियमित रूप से संधारण प्रारंभ कर दिया गया है, जहां तक वसूल की राशि जमा का प्रश्न है, कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गई राशि एवं इनके जमा

की जॉच की जा रही है। जॉच पूर्ण कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड. पंजी का विधिवत संधारण नहीं किया जाना एक अत्यन्त गंभीर मामला है एवं इनके अनियमित संधारण से गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। एच0 रसीद/विविध रसीद के माध्यम से कर–संग्राहकों द्वारा वसूल की गई कुल राशि एवं संबंधित खातें में वसूल की गई राशि के जमा की वस्तुस्थिति नगर परिषद् प्रशासन के स्तर से अविलम्ब सुनिश्चित कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को सूचित किया जाए। असफलता की स्थिति में जमा नहीं/कम जमा की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर परिषद, निधि के अचित शीर्ष में जमा किया जाय।

(घ) **श्री विजय कुमार राउत, कर संग्राहक द्वारा विविध रसीद से वसूल की गई राशि का जमा**

उपलब्ध कराए गए विविध रसीदों की भंडार पंजी के अनुसार श्री विजय कुमार राउत को निर्गत निम्नांकित विविध रसीद बहियों के द्वारा 2010–12 की अवधि में वसूल की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

कम सं	रसीद सं./दिनांक	वसूल की गई राशि	अभ्युक्ति
1.	3860–3900/1.12.09 से 18.08.10	485609.00	
2.	4101–4200/03.09.10 से 25.04.11	3438513.00	
3.	4501–4550/19.04.11 से 11.11.11	1263110.00	4512 अनुपलब्ध 4551–4600 कार्यालय द्वारा सील्ड
		₹5187232.00	

उक्त रसीदों से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई।

रसीद बहियों की जॉच में पाया गया कि रसीद सं. 4512 की दोनों प्रतियां बही में उपलब्ध नहीं थी, अतः इस रसीद के माध्यम से कितनी राशि की वसूली की गई इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका। साथ ही रसीद सं. 4551–4600 को कार्यालय द्वारा सील किया पाया गया जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

वसूल की गयी राशि के विरूद्ध जमा के विवरण की मॉग किये जाने पर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री राउत द्वारा उपराक्त विविध रसीदों की वसूली एवं संबंधित निधि में जमा की जॉच हेतु चार कर्मचारियों की समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राउत द्वारा विविध रसीद सं0 3878–3900, 4100–4200 एवं 4501–4550. के माध्यम से रु 4893057.00 की वसूली के विरूद्ध रु 4510874.00 का जमा एवं रु 382183.00 का कम जमा के ऑकडे संलग्न पाये गए। उक्त राशि रु 382183.00 के जमा हेतु श्री राउत को 19.04.12 को निदेशित किया गया। परन्तु, रु 382183.00 के जमा संबंधी प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

विविध रसीद सं0 4501 जिसकी राशि 395000.00 थी को इस आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 7.6.12 को रद्द कर दिया गया कि इस राशि की प्राप्ति का रसीद सं 4379 दिनांक 31.01.12 को श्री अभय कुमार, रोकड.पाल द्वारा निर्गत किया जा चुका था। लेकिन इनके अवलोकन से यह पाया गया कि रोकड.पाल द्वारा निर्गत रसीद की राशि रु 495000.00 थी जबकि 4501 रसीद सं. के द्वारा रु 395000.00 की प्राप्ति दर्शाया गया। यह भी ध्यातव्य है की रसीद सं0 4501 जिसे संचिका में रद्द अंकित किया गया उसकी ना ही मूल प्रति उपलब्ध पायी गई एव ना ही दूसरी प्रति को रद्द किया हुआ पाया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. जॉच दल द्वारा रु 382183.00 की वसूली हेतु सुझायी गई राशि श्री राउत से वसूल कर संबंधित निधि में जमा किया जाए।
2. रसीद सं. 4501 की मूल प्रति एवं इन्हे रद्द किए जाने का प्रमाणिक अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस असफलता की स्थिति में इस रसीद के माध्यम से वसूल की गई राशि 395000.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर परिषद् निधि में जमा किया जाए।

इस संबंध में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी एवं वस्तुस्थिति से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

(ड.) कम वसूली– रु 330.00

श्री जुलुम साह कर संग्रहकर्ता के एच.रसीद के जॉच के कम में पाया गया कि जोड. में गलती के कारण रु 330.00 की कम वसूली की गई–

कम सं0	रसीद सं.	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूली
1.	3870 / 4.7.10	2125.52	2025.52	100.00

361

2.	4496 / 5.10.10	1980.00	1940.00	40.00
3.	4497 / 5.10.10	1740.00	1640.00	100.00
4.	4652 / ..	350.64	310.64	40.00
5.	4654 / 1.11.10	675.00	625.00	50.00
				330.00

उक्त राशि को संबंधित कर्मी से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

11. बन्दोबस्ती

बन्दोबस्ती योग्य सैरातों की सूची उपलब्ध नहीं कराया गया। उपलब्ध कराये गए संचिकाओं के अवलोकन से निम्न तथ्य पाये गये–

(a) दशहरा फैन्सी मेला

बन्दोबस्ती की अवधि –2011–12 राशि–1840200.00 श्री राजू पटेल

जमा की गई राशि : रु 1200000.00 विविध रसीद सं0 4357 / 22.09.11
रु 450000.00 विविध रसीद सं0 4359 / 24.09.11
} खाता सं0–1300 / यूनियन बैंक

रु 20000.00 विविध रसीद सं0 4367 / 15.11.11

रु 1670000.00

इनके अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क 3% 55200.00

उपर्युक्त राशि रु 1895406.00 (1840200.00+55206) के विरूद्ध मात्र 1670000.00 की वसूली की गयी तथा शेष राशि 225406.00 की वसूली नहीं की गयी। संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि दिनांक 16.09.11 को मुद्रांक शुल्क हेतु दिनांक 4.5.12 को 225406.00 बकाया से 131238.00 का सामंजन करते हुए रु 94168.00, हेतु एंव दिनांक 8.6.12 एवं 27.08.12 को उपरोक्त का स्मार पत्र निर्गत किया गया, लेकिन उसके परिणामों का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। इसके उपरान्त की गई कार्रवाई एवं 131238.00 किस तरह का सामंजन था, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका।

(b) बस पड.ाव, बेतिया

बन्दोबस्ती की अवधि –2010–11 दिनांक 17.03.10 राशि–4927000.00, श्री नेयाज अहमद।

मुद्रांक शुल्क– 147810.00

कुल: 5074810.00

उपर्युक्त के विरूद्ध पाया गया जमा निम्न प्रकार था–

रु 500000.00 दिनांक 06.04.10
}